छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30/06/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक द्वारा श्री अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित। – आवेदिका द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31, नियम–35 के अधीन अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि ग्रीनअर्थ सिटी, अमलेश्वर एक आवासीय परियोजना है, जिसमें फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। यह परियोजना अभी अधूरी है और निवासियों को सौंपी नहीं गई है। इसके बावजूद प्रमोटर रखरखाव की जिम्मेदारी लेने में विफल रहा है। निवासी एक अनौपचारिक समिति (अस्थाई समिति) के माध्यम से रखरखाव का प्रबंधन कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, बाग–बगीचे, सड़क, रखरखाव, सफाई और बिजली शामिल है। निर्माण कार्य अभी भी जारी है, इसके बावजूद प्रमोटर द्वारा मार्च, 2026 में सुरक्षा गार्डों का भुगतान रोक दिया गया है। प्रमोटर बिना बिके फ्लैटों और भूखण्डों के रखरखाव का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे निवासियों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। भूखण्ड क्षेत्र में सड़कें, बिजली, के तार और पानी की पाईप लाईन जैसी बुनियादी संरचनाएँ अधूरी है। इसके अतिरिक्त आवासीय परियोजना के भीतर बाउंड्रीवाल तोड़कर और व्यावसायिक भवन का निर्माण करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। प्रमोटर इस प्रकार की गतिविधि को रोकने में विफल रहा है। तहसीलदार द्वारा जारी यथास्थिति आदेश के बावजूद निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यह परियोजना लंबे समय से विलंबित है और प्रमोटर रेरा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। अतः आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	याचना की गई है। प्रोजेक्ट का हैंडओवर होने तक रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी लेने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया जावे। बिना बिके फ्लैटों और भूखण्डों के रखरखाव का भुगतान करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया जावे। परियोजना के भीतर अवैध निर्माण को रोकने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया जावे। प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कराई जाये। अनावेदक के विरूद्ध उचित कार्रवाई करे। – अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई है कि वर्तमान परिवाद तथाकथित ''ग्रीनअर्थ सिटी अस्थायी समिति'' द्वारा श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार के मार्फत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक निकाय का कोई विधिक अस्तित्व नहीं है तथा यह एक विधिक व्यक्ति नहीं है, वह किसी संविधि के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तथा प्राधिकरण के समक्ष वर्तमान परिवाद को प्रस्तुत करने तथा उसे बनाये रखने के लिये सुनने का अधिकार नहीं है। प्राधिकरण के ध्यान में यह बात लाना सर्वथा समीचीन है कि पंजीयन क्रमांक–3303 दिनाँक 03.10.2020 से छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत ''ग्रीनअर्थ सिटी सहकारी समिति मर्यादित'' नाम से विधिवत पंजीकृत सहकारी सोसायटी पहले ही अस्तित्व में और प्रोजेक्ट के आबंटितियों की विधिपूर्ण मान्यता प्राप्त निकाय है। अस्थायी समिति पूरी तरह सामान्तर एवं गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, जो उक्त पंजीकृत सोसायटी के प्रत्यक्ष उल्लंघन में है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा–31 के अंतर्गत परिवाद कवल ''व्यथित व्यक्ति'' द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की अपंजीकृत/अनौपचारिक समिति जिसके कोर्ठ परिभाषित सदस्य नहीं, कोई गठन नहीं, किसी विधि के अंतर्गत कोई	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	निर्वाचित पदधारी नहीं तथा कोई सांविधिक मान्यता नहीं, को धारा–31 के अंतर्गत ''व्यथित व्यक्ति'' के रूप में संव्यवहारिता नहीं किया जा सकता है। परिवाद इस आधार पर खारिज होने योग्य है। अन्यथा आवेदक श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार द्वारा कहीं भी (क) अपनी व्यैक्ति आबंटिती प्रास्थिति, (ख) अपनी इकाई/भूखण्ड/फ्लैट क्रमांक, (ग) अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख या विक्रय अनुबंध, (घ) वर्तमान परिवाद को प्रस्तुत करने तथा हस्तांतरित करने के लिये तथाकथित अस्थायी समिति द्वारा उन्हें प्राधिकृत करते हुये कोई प्राधिकार/संकल्प या (द) सदस्यों की सूची जिनके तरफ से परिवाद प्रस्तुत किया जाना तात्पर्य है, को प्रकट नहीं किया गया है। इन कारणों से परिवाद खारिज होने का दायी है। परिवाद आवश्यक पक्षकारों के गंभीर असंयोजन से ग्रसित है। आवेदक प्रोजेक्ट के भीतर ''बाउंड्रीवाल को तोड़कर गैरकानूनी संनिर्माण'' को अधिकथित किया गया है। तथापि उक्त संनिर्माण अनावेदक/संप्रवर्तक द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत संनिर्माण श्री गुरूमल सिंह सैनी द्वारा किया जा रहा है, जिसने यद्यपि कॉलोनी के भीतर चार भूखण्डों को खरीदना कथित है; तृतीय पक्षकार के संनिर्माण गतिविधि के संबंध में शिकायत है, जिसके स्वतंत्र एवं अप्राधिकृत कृत्यों के लिये अनावेदक/संप्रवर्तक किसी तरह उत्तरदायी नहीं है। उक्त श्री गुरूमल सिंह सैनी स्वीकृत रूप से अनावेदक के प्रोजेक्ट की बांउड्रीवाल तोड़ दिया गया है और कथित चार भूखण्डों में अप्राधिकृत संनिर्माण करवा रहा है। उक्त संनिर्माण का ठीक स्वरूप एवं प्रयोजन आवासीय अथवा व्यावसायिक के लिये अनावेदक को ज्ञात नहीं है और न तो अनावेदक को प्रकट किया गया है, न ही अनावेदक द्वारा मंजूरी ही दी गई है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	बाउंड्रीवाल को गिराने का उक्त कृत्य तथा अप्राधिकृत संनिर्माण पूरी तरह अपनी स्वयं के पहले बिना किसी अनुमोदन, स्वीकृति के, अनापत्ति के अथवा अनावेदक के बिना जानकारी के किया गया है, तद्द्वारा अनावेदक के प्रोजेक्ट और रहवासियों की सुरक्षा के लिये खतरा है। वस्तुतः यह अनावेदक है, जो उक्त गैर कानूनी संनिर्माण का पीड़ित है तथा तहसीलदार, पाटन, जिला–दुर्ग के समक्ष प्रकरण को अनुसरित कर रहा है। तहसीलदार पाटन द्वारा दिनाँक 19.02.2026 एवं 18.03.2026 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया श्री गुरूमल सिंह सैनी को यह निर्देशित करते हुये कि बाउंड्रीवाल को तुरंत पुनः बनाया जाये एवं गैर कानूनी संनिर्माण में बंद किया जाये। उक्त श्री गुरूमल सिंह सैनी विवाद में आवश्यक एवं समुचित पक्षकार है तथा आवेदक द्वारा उसको जान–बूझकर पक्षकार न बनाया जाना वर्तमान परिवाद के संधारणीयता के लिये घातक है। उसी प्रकार ग्रीनअर्थ सिटी समिति मर्यादित विधिवत पंजीकृत सांविधिक निकाय आबंटितीगण का प्रतिनिधित्व करते हुये आवश्यक पक्षकार हे। उक्त पंजीकृत सोसायटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, यह असंयोजन परिवाद के लिये घातक है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से गैरकानूनी रूप से उपागम किया गया है और जान–बूझकर सारभूत तथ्यों को दबा दिया गया है। यह छिपाया गया है कि :– (1) प्रोजेक्ट के चार फेसों को विधिवत् पूर्ण कर लिया गया है तथा भाग–2 में नीचे यथा वर्णित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सांविधिक रूप से प्रमाणित किया गया है। (2) आबंटितियों की विधिवत् पंजीकृत सहकारी सोसायटी पूर्व से ही	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अस्तित्व में। (3) उक्त पंजीकृत सोसायटी का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा दिनाँक 24.11.2021 को रखा गया था, तथापि छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WP(C) No. 4002/2021 द्वारा कतिपय अपार्टमेंट स्वामियों के निवेदन में स्थगित कर दिया गया था। (4) माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) NO. 1392/2021 में अपने अंतिम आदेश दिनाँक 30.01.2024 में अभिव्यक्त रूप से अंतरिम स्थगन को निरस्त कर दिया गया और याचीगण को इस स्वतंत्रता के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया कि अधिनियम, 1960 की धारा–18 एवं 18क के अंतर्गत निरस्तीकरण/अपंजीयन के लिये सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार/उप–रजिस्ट्रार से उपागम करें। दो वर्ष पूर्व उक्त आदेश की पारित होने के बावजूद न तो तथाकथित अस्थायी समिति और न ही याचिकाकर्ता रजिस्ट्रार से उपागम किये गये और न ही उन्होंने निर्वाचन के कराने में सहयोग किया गया। (5) अनावेदक वर्ष 2019 से आबंटितियों से पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से सुपुर्दगी लेने और मासिक अनुरक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये कई लिखित नोटिस/परिपत्रों के माध्यम से लगातार संपर्क किया गया। कुछ रहवासीगण अनौपचारिक समिति के माध्यम से प्रोजेक्ट का अनुरक्षण संकर्म ले लिया गया था, तथापि औपचारिक एवं वैध सोसायटी बनाने में असफल हुये तद्द्वारा सामान्य क्षेत्रों का हस्तांतरण विलेख निष्पादन करने में विलंब किये गये। (6) तथाकथित अस्थायी समिति रहवासीगण से अनुरक्षण राशि	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	संग्रहित करती रही है और अपने स्वयं के नाम से नगद पावती जारी करती रही है; समानांतर कथित करते हुये कि ऐसा अनुरक्षण अनावेदक को वहन करना चाहिये जो प्रत्यक्ष विरोधाभास एवं अनुचित रूप से धनवान होता है। आवेदक उपरोक्त सारभूत एवं निर्णायक तथ्यों का दमन किया गया है, इसलिये दमन के आधार पर प्रारंभ में ही विवाद खारिज किये जाने योग्य है। परिवाद में उठाई गई शिकायतें निष्पक्ष पाठन पर आवश्यक रूप से (1) श्री गुरूमल सिंह सैनी द्वारा तृतीय पक्षकार अतिक्रमण/गैरकानूनी संनिर्माण पूर्णतया राजस्व प्राधिकरणों तथा अनुविभागीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर का मामला है, (2) अनुरक्षण शुल्कों तथा सोसायटी कार्यकलाप के संबंध में विवाद छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा छ.ग. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 द्वारा शासित होते हैं, (3) रहवासी निकाय को सुपुर्दगी न होना पूर्णतया पंजीकृत सोसायटी के निर्वाचित प्रबंधकीय समिति के निर्माण पर निर्भर है, जो अनावेदक के नियंत्रण में नहीं है तथा उसका दायित्व प्रोजेक्ट के आबंटितियों को जाता है। उपरोक्त समस्याओं में कोई भी रेरा अधिनियम, 2016 की धारा–31 सहपठित धारा–34 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आता है, इसलिये प्राधिकरण के समक्ष परिवाद संधारणीय नहीं है। आवेदक द्वारा उठाये गये बहुत से विवाद विशिष्ट रूप से अपार्टमेंट स्वामियों का संघ तथा सहकारी सोसायटी बनाने से संबंधित विवाद माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) NO. 1392/2021 में निर्णय दिनाँक 30.01.2024 तथा WP(C) No. 4002/2021 द्वारा निर्णय दिनाँक 30.07.2021 पूर्व से ही न्याय निर्णीत किया जा चुका है। आवेदक या व्यक्तिगण जो इसे प्रस्तुत करते हैं, वही या सारभूत रूप से समरूप विवाद	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	संपश्विक रूप से प्राधिकरण के समक्ष नहीं उठा सकते है। परिवाद पूर्व न्याय/प्रलक्षित पूर्व न्याय के सिद्धांतों से बाधित है। पूर्ववर्ती आपत्तियों को विपरीत रूप से प्रभावित किये बिना आवेदक तथा इसके सहमति में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वतः गैर कानूनी तथा विध्वंसात्मक व्यवहार में लगा रखा है, जिससे वर्तमान परिवाद में अंतनिर्हित दुर्भावनापूर्ण तथा कुटिल उद्देश्य को उजागर करता है। अनावेदक द्वारा ''ग्रीनअर्थ एवेन्यू'' नामक परियोजना के एक नए चरण में काम प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में उसे पूरा कर रहा है, जिसमें दो अपार्टमेंट पहले ही बन चुके हैं और अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। आवेदक और उसके साथ मिलकर काम करने वाले कुछ निवासियों द्वारा लगातार 15 दिनों से अधिक समय तक, अवैध रूप से और बिना किसी अधिकार के अनावेदक और उसके कर्मचारियों को उक्त परियोजना में प्रवेश करने से रोका गया है, अनावेदक के कर्मचारियों, इंजीनियरों और कामगारों के प्रवेश को रोका है। उक्त कृत्य घोर अतिक्रमण, आपराधिक बाधा और अनावेदक के वैध कब्जे और उसके चल रहे निर्माण और अंतिम रूप देने के कार्य में गैरकानूनी हस्तक्षेप के बराबर है और अनावेदक को अपूरणीय हानि, विलंब और क्षति पहुँचाई है और पहुँचाते रहेंगे, यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो व्यक्ति अब विलंब और अधूरे कार्यों का आरोप लगा रहे हैं, वह स्वयं अपने गैरकानूनी अवरोध के कारण ऐसे विलंब के लिये जिम्मेदार हैं। ऐसा आचरण कानून में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई योग्य होने के अतिरिक्त, आवेदक को इस प्राधिकरण के हाथों किसी भी न्यायसंगत या विवेकाधीन राहत से पूरी तरह वंचित करता है। अनावेदक उक्त कृत्यों के लिये आवेदक और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित दीवानी और	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति के संदर्भ में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि ग्रीन अर्थ सिटी अस्थायी समिती एक पंजीकृत संस्था नहीं है, किंतु यह समिती वर्षो से रहवासियों के सहयोग से कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं का संचालन कर रही है, शिकायत का उद्देश्य किसी संस्था का अधिकार स्थापित करना नहीं बल्कि रहवासियों की वास्तविक समस्याओं को संज्ञान में लाना है। आवेदक भू–संपदा प्रोजेक्ट का आबंटिती है एवं प्रभावित पक्ष है। प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक आपत्ति, पर जवाब का अध्ययन किया गया। अधिनियम की धारा–31 का उद्धरण निम्नानुसार हैः– प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को परिवाद फाइल किया जाना–(1)कोई व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, किसी संप्रवर्तक, आबंटिती या भू–संपदा अभिकर्ता के विरूद्ध अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को परिवाद फाईल कर सकेगा। स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'व्यक्ति' के अंतर्गत आबंटियों का संगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम भी है। (2)उपधारा(1) के अधीन कोई परिवाद फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस वह होगी, जो विहित की जाए।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2026-03588**

आवेदक : श्री अनिरूद्ध सुद्दलवार, द्वारा–अर्थ सिटी अस्थाई समिति, पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री संजय श्रीमल, द्वारा–ग्रीनअर्थ इन्फ्रावेन्चर्स प्रा.लि., पता–13ए, पंचशील नगर, छ.ग. क्लब के पास, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''ग्रीनअर्थ सिटी'', पता–अमलेश्वर, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	चूँकि प्रचलित विधि के अधीन रहवासियों की सहकारी समिती पूर्व से ही पंजीकृत है एवं प्रभावशील है, अतः अस्थाई समिती को अधिनियम की धारा–31 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदक व्यक्तिगत रूप से प्रश्नगत भू–संपदा प्रोजेक्ट में यदि आबंटिती है, वह संप्रवर्तक के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक को अस्थायी समिति की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं होने के कारण प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। आबंटिती होने की दशा में आवेदक पृथक से परिवाद अंतर्गत धारा–31 प्रस्तुत कर सकता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	